

प्रेषक,

संजय कुमार,
प्रधान सचिव,
स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी,
सभी सिविल सर्जन,
बिहार।

पटना, दिनांक-

विषय- COVID-19 के परिप्रेक्ष्य में Isolation Centre/ Quarantine Centre की स्थापना के लिए स्थल चिन्हित करने के संबंध में दिये गये दिशा निर्देश के क्रम में।

महाशया/महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार राज्य में विदेश से आए व्यक्ति अथवा COVID-19 Positive के संपर्क में आए अथवा COVID-19 Positive व्यक्तियों के ईलाज हेतु जिलों में निम्नवत् केन्द्र संचालित किये जायेंगे।

(i) **Quarantine Centre:-** (क) बिहार राज्य में विदेश से आए हुए व्यक्ति जो symptomatic है अथवा जिनका sample collect किया जाना है या जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ख) COVID-19 Positive व्यक्ति के संपर्क में रहे व्यक्ति जिनकी जाँच हेतु sample लिए जाने हैं अथवा जिनके नमूने लिए जा चुके हैं एवं जाँच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(ii) **Isolation-cum-Treatment Centre:-** इस केन्द्र पर COVID-19 Positive Asymptomatic व्यक्ति ही रहेंगे। जो COVID-19 Positive व्यक्ति Symptomatic होंगे अथवा जिन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट की आवश्यकता होगी उन्हें विभिन्न अस्पतालों में संचालित **Isolation-cum-Treatment Centre** में रखा जाएगा एवं उनका समुचित इलाज किया जायेगा।

प्रत्येक केन्द्र पर भोजन, सुरक्षा, चिकित्सा कर्मी, साफ-सफाई एवं हाउस कीपिंग की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसपर होने वाले व्यय का वहन तत्काल NHM अन्तर्गत उपलब्ध राशि से किया जायेगा। प्रत्येक जिले द्वारा इस मद में व्यय का आकलन कर राशि की अधियाचना स्वास्थ्य विभाग से की जायेगी। आवंटन उपलब्ध होने के उपरांत राशि की निकासी कर NHM मद में प्रतिपूर्ति की जायेगी।

इन केन्द्रों पर उपरोक्त श्रेणी के व्यक्तियों के आवासन के निमित्त आवश्यक प्रोटोकॉल के आधार पर सावधानी बरती जानी है। इससे संबंधित Protocol/दिशा-निर्देश इस पत्र के साथ अनुलग्नक के रूप में संलग्न कर भेजा जा रहा है, जिसका दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करें।

अनुलग्नक- 1 (जिले में संस्थापित कोरेन्टाइन सेंटर/आईसोलेशन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थायें)

2.(क्वारेन्टाइन एवं आईसोलेशन केन्द्र में अवासित व्यक्तियों एवं कर्मियों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश)

विश्वासभाजन,

ह0/-

(संजय कुमार)

प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - 12 (अस्स को०)

पटना, दिनांक - 01/04/2020

प्रतिलिपि- मुख्य सचिव, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि- प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

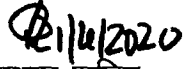
प्रतिलिपि- सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- कार्यपालक निदेशक, राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- माननीय मंत्री, स्वास्थ्य विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- सभी क्षेत्रीय अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवायें, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



प्रधान सचिव,

स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना।

जिले में संस्थापित कोरेन्टाइन सेंटर/आईसोलेशन सेंटर के संचालन के संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएँ

मानक संचालन प्रक्रिया

- जिला प्रशासन द्वारा क्वारंटाइन केन्द्र हेतु होटल एवं लॉज/हॉस्टल संचालकों के साथ समन्वय कर आवश्यकतानुसार कमरों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाय भविष्य में आवश्यकतानुसार कमरों की संख्या में बढ़ोतरी की जा सकेगी।
- प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम शौचालययुक्त होस्टल/ होटल के कमरे फिर अंत में विशेष परिस्थिति में डोरमेट्री कक्ष को चिन्हित एवं प्राप्त किया जाय।
- इस केन्द्र में मूलभूत आवश्यकता जैसे, बिजली, पानी, खानपान, साफ-सफाई, तथा कचड़ा निस्तारण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए।
- पारामेडिकल स्टाफ एवं चिकित्सक की प्रतिनियुक्ति :-
 - (क) 50 बेड से कम आवासन — दो ए0एन0एम0 एवं एक चिकित्सक
 - (ख) 50 से 100 बेड आवासन — चार ए0एन0एम0 एवं दो चिकित्सक
 - (ग) 100 से 200 बेड आवासन — छः ए0एन0एम0 एवं दो चिकित्सक
- प्रत्येक केन्द्र पर पंजी का संधारण रिसेप्शन पर किया जायेगा। जिसमें सभी अंतःवासी व्यक्तियों की प्रविष्टि की जायेगी।
- नमून-जाँच वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश के समय में ICMR के मानक फार्म जिसमें आवागमन तथा कॉन्टैक्ट का इतिहास भी सम्मिलित है, भरा जायेगा तथा लक्षणों का चेकलिस्ट भी सावधानी पूर्वक भरा जायेगा, जिसे दैनिक रूप से अद्यतन किया जायेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग-अलग पन्ने पर प्रविष्टि की जायेगी जिसमें उनकी पूरी चिकित्सीय इतिहास भरा जायेगा। खासकर Co-morbid अवस्था तथा उस व्यक्ति द्वारा नियमित तौर पर ली जा रही दवाइयों के नाम व मात्रा का उल्लेख अवश्य की जायेगी। चिकित्सा पदाधिकारी के हस्ताक्षर के साथ पंजी खुलेगी व प्रतिनियुक्त ए0एन0एम0 के पास रहेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति के प्रवेश के समय व्यक्तिगत स्वच्छता किट (Personal Hygienic Kit) दिया जायेगा। जिसमें छोटा साबुन, दूधब्रश, छोटा दूधपेस्ट, कंधी, सैम्पू, तौलिया, टंग क्लिनिंग, सेविंग किट, ग्लास, जग, टॉयलेट क्लीनिंग सेट, फ्लोर मोबिंग क्लोथ, ऑल आउट/नेट आदि उपलब्ध कराया जायेगा।
- प्रत्येक दिवस ए0एन0एम0 द्वारा लक्षण चेकलिस्ट (Symptom Checklist) के आधार पर भर्ती व्यक्तियों का परीक्षण ए0एन0एम0 द्वारा किया जायेगा। COVID-19 से संबन्धित फार्म उनका Sample Collect कर जाँच हेतु भरा जायेगा।
- व्यक्तिगत स्वच्छता, सावधानियों, साफ-सफाई, समाजिक अलगाव तथा बिमारी के लक्षणों आदि के बारे में सभी सुगम तथा सुदृश स्थलों पर साईनेज/पोस्टर आदि लगाई जाने चाहिए।
- सामान्य को मोरबिड अवस्थाओं जैसे नियंत्रित ब्लड प्रेशर, शुगर आदि से ग्रस्त मरीजों को यदि भर्ती कराया जाता है तो समुचित ईलाज हेतु उनके द्वारा नियमित तौर पर सेवन की जाने वाली दवाई तथा किसी प्रकार की इमरजेंसी में ली जाने वाली दवाइयों की व्यवस्था उक्त केन्द्र पर अवश्य होनी चाहिए तदनु रूप प्रतिनियुक्त ए0एन0एम0 को चिकित्सक द्वारा विशेष तौर पर मार्गदर्शित किये जायेंगे।

12 (अ.स.को.)
01/4/2020

11/4/2020

11/4/2020

- प्रतिनियुक्त चिकित्सा पदाधिकारी प्रत्येक दिन प्रत्येक अंतःवासी का मानक प्रोटोकॉल के अनुरूप स्वास्थ्य रिकॉर्ड मेन्टेन करेगा।
- सभी प्रतिनियुक्त चिकित्सा कर्मियों तथा सभी स्टाफ को जरूरी सावधानियों तथा मानक प्रक्रियाओं के विषय में प्रशिक्षण अवश्य दिया जाय।
- किसी भी भर्ती अंतःवासी जो सीधे प्रयोगशाला जाँच में कन्फर्म केस के सम्पर्क में आये व्यक्ति के रूप में चिन्हित करते हुए कोरेन्टाइन सेंटर में लाया गया हो, के लिए आवासन अवधि 14 दिन होगी।

12(अ.सं.को.)
01/04/2020

1.4.2020

12/4/2020

क्वारंटाइन एवं आईसोलेशन केन्द्र में अवासित व्यक्तियों एवं स्वास्थ्य तथा अन्य कर्मियों के अनुपालन हेतु दिशा-निर्देश

1. संगरोधित (क्वारंटाइन्ड) व्यक्ति द्वारा सुरक्षा सावधानी :

संगरोधित व्यक्ति को हमेशा निम्नलिखित सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों का पालन करना चाहिए :-

- हाथ को साबुन और पानी से या अल्कोहल-आधारित हैंड सेनिटाइजर से अच्छी तरह धोएं।
- हर समय सर्जिकल मास्क पहनें। मास्क को हर 6-8 घंटे में बदलना चाहिए और समुचित निपटारा करना चाहिए। डिस्पोजेबल मास्क का कभी भी दोबारा उपयोग नहीं किया जाना है।
- प्रयुक्त मास्क को संभावित रूप से संक्रमित माना जाना चाहिए।
- साधारण ब्लीचींग सॉल्यूशन (5%) या सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल (1%) का उपयोग करके इस्तेमाल किए जाने वाले मास्क को कीटाणुरहित किया जाना चाहिए और फिर जलाकर गहरे गड्ढे में दफन कर निपटाया जाना चाहिए।
- यदि लक्षण दिखाई देते हैं (खांसी/बुखार/सांस लेने में कठिनाई), तो उन्हें तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र या कॉल सेंटर नम्बर 104 पर सूचित करना चाहिए।

2. संगरोधित व्यक्ति की निजता का अधिकार

संगरोध में व्यक्तियों के पास अपने व्यक्तिगत स्वास्थ्य जानकारी के संरक्षण के संबंध में उनके अधिकार सुरक्षित होने चाहिए। इसका मतलब यह है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ चर्चा के बाद, व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में जानकारी केवल उन स्टाफ सदस्यों के साथ चर्चा की जानी चाहिए जो सीधे संगरोध में सहायक होंगे। व्यवहार में इसमें सफाईकर्मी और संबंधित कपड़े धोने और खानपान प्रदान करने वाले कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।

3. खाद्य वितरण सेवाएं

होटल और अन्य खाद्य सेवाओं को संपर्क व्यक्ति के सीधे संपर्क को कम करने के लिए संगरोधित व्यक्ति के कमरे के दरवाजे के बाहर ही खाद्य एवं पेय पदार्थ रखकर दरवाजे पर नॉक करना चाहिये। क्वारंटाइन्ड लोगों को खाना परोसने हेतु पत्तों से बने दोने व पत्तल आदि में खाना आदि परोसने का प्रयास किया जाना चाहिये। ताकि संक्रमित मानते हुए इसे जलाकर या भूमि में गाड़कर निस्तारित किया जाना सुगम होगा और वातावरण भी दूषित नहीं होगा।

4. कचरा प्रबंधन

किसी भी कमरे से प्राप्त अपशिष्ट संभावित रूप से संक्रामक माना जाना चाहिए। यह कचरा समुचित मास्क एवं ग्लास उपकरण पहने हुए कर्मचारियों द्वारा सुरक्षित रूप से निहित किया जा सकता है और फिर नियमित कचरे में निपटारा किया जा सकता है।

5. सफाई के लिए आवश्यक कदम:

चरण I : आवश्यक सुरक्षा उपकरण

12 (असु को.)
01/04/2020

1.4.2020

12/1/2020

- कमरे, शौचालय और अन्य सामान्य क्षेत्रों की सफाई करते समय हमेशा डिस्पोजेबल दस्ताने पहने जाने चाहिए, और जब सफाई और कीटाणुनाशक घोलों को संभालते समय दस्ताने अगर क्षतिग्रस्त या गंदे हो जाते हैं या जब सफाई पूरी हो जाती है, तो नीचे अंकित चरण 5 में वर्णित तरीके से दस्ताने का निपटान किया जाना चाहिए। दस्ताने कभी ना धोए और न ही उसका दूबारा उपयोग करें।
- संगरोधित व्यक्ति, के साथ निकट संपर्क (1.5 मीटर के भीतर के दायरे में सफाई करने हेतु) तीन प्लाई फेस मास्क पहनने की सिफारिश की जाती है।
- सफाई में छींटें उड़ने की स्थिति में आंखों की सुरक्षा, जैसे काले चश्मे, और सर्जिकल मास्क की आवश्यकता हो सकती है।
- दस्ताने पहने हुए या बिना धोये हाथ से चेहरे को छूने से बचें।

चरण II : नियमित सफाई

- संगरोध अवधि में कमरों की सफाई की आवृत्ति कम या स्थगित हो सकती है। यदि उचित सफाई उपकरण प्रदान किए जाते हैं तो कुछ सफाई कार्य संगरोध अलगाव में अतिथि द्वारा किए जा सकते हैं। इस हेतु उन्हें आवश्यक सफाई उपकरण जैसे— झाड़ू, पोछा आदि उपलब्ध कराये जा सकते हैं।
- होटल के कर्मचारी जिस कमरे में सफाई कर रहे हैं, आवासित व्यक्ति उसी कमरे में नहीं होना चाहिए, जबकि वह साफ किया जा रहा हो। यदि उपलब्ध हो तो व्यक्ति को बाथरूम या बालकनी में प्रतीक्षा करने के लिए कहा जाना चाहिए। यदि उपरोक्त विकल्प संभव नहीं है ; तो सफाई करने वाला व्यक्ति वह तीन प्लाई फेस मास्क पहने हुए हो और संगरोधित व्यक्ति से 1.5 मीटर या अधिक दूरी बनाए रखे।
- पोंछे के लिए डिस्पोजेबल कपड़े के उपयोग की दृढ़ता से सिफारिश की जाती है, प्रत्येक कमरे के लिए एक ताजा कपड़े का उपयोग किया जाता है। अन्य कपड़ा के उपयोग की स्थिति में 30 मिनट के लिए 1% हाइपोक्लोराइट घोल में रखा जाय और बाद में साबुन घोल में धोया जाये।
- वायरस कुछ सतहों पर कई दिनों तक जीवित रह सकता है, इन सतहों को कीटाणुरहित करने के लिए 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट सॉल्यूशन जैसे नियमित सफाई उत्पाद प्रभावी हैं।
- टॉयलेट सतहों को नियमित रूप से घरेलू ब्लीच समाधान/फेनोलिक कीटाणुनाशक के साथ और कीटाणु रहित किया जा सकता है।

चरण III : विशेष क्षेत्रों का कीटाणुशोधन

नियमित सफाई के अलावा, कमरे में निम्नलिखित सतहों को जो आमतौर पर छुआ जाता है, उन्हें कीटाणुरहित किया जाना चाहिए :

- दरवाजे के हैंडल और लाइट स्विच
- टेबल्स और काउंटर
- कुर्सियों के आर्मरेस्ट (यदि कपड़े नहीं हैं)

12 (असंको०)
01/04/2020

66
1.4.2020

11/4/2020

- टीवी बटन और रिमोट कंट्रोल, टेलीफोन, एयर कंडीशनर (ए/सी) बटन और रिमोट कंट्रोल, केतली हैंडल, फ्रिज दरवाजे के हैंडल
- डोर हैंडल, डोर लॉक, टॉयलेट सीट और बटन, नल, वॉश-बेसिन, काउंटर, शॉवर और/या स्नान सहित स्नानघर।
- सामान्य डिटर्जेंट और पानी से पहले सतह को साफ करें, और फिर कीटाणुनाशक निर्माता के लेबल पर निर्देश के अनुसार कीटाणुनाशक लागू करें। अनुशंसित संपर्क समय सुनिश्चित करें। पूरी तरह से सूखने दें।
- निर्देशानुसार किसी भी सुरक्षा सावधानियों या अन्य लेबल सिफारिशों का पालन करें (जैसे कि शौचालय जैसे सीमित क्षेत्रों में पर्याप्त वेंटिलेशन की अनुमति देना)।
- मानक डिसइंफेक्टेंट का उपयोग कुछ सतहों पर नहीं किया जा सकता है, जैसे टेलीविजन रिमोट कंट्रोल और टेलिफोन। इन सतहों के लिए सेनटाईजर का उपयोग की सिफारिश की जाती है।
- टीवी और ए0सी0 रिमोट कंट्रोल रखने के लिए अभेद्य और साफ-सुथरे जिप-लॉक प्लास्टिक बैग का उपयोग करने पर विचार करें क्योंकि इन वस्तुओं के अक्सर हाथ होने की संभावना होती है।
- यदि संगरोधित व्यक्ति को उनके कमरे को छोड़ने की अनुमति दी जाती है या उनके कमरे से बाहर जाने का संदेह होता है, तो कमरे के बाहर उनके द्वारा प्रयुक्त क्षेत्रों को साफ और कीटाणुरहित करें जैसे कि बटन तथा हैंडरेल आदि।

चरण IV : संगरोधित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से युक्त सतह की सफाई

- सफाई कर्मचारियों को एक अभेद्य डिस्पोजेबल गाउन या एप्रन, दस्ताने और आंखों की सुरक्षा पहननी चाहिए, जब किसी भी संगरोधित व्यक्ति के शरीर के तरल पदार्थ से युक्त सतह की सफाई हो।
- किसी भी शरीर के तरल पदार्थ को पहले एक शोषक सामग्री का उपयोग करके दूषित सतहों से हटाया जाना चाहिए, जिसे बाद में एक मजबूत रिसाव-प्रूफ प्लास्टिक बैग में नीचे चरण 05 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
- कठोर, गैर-छिद्रपूर्ण सतहों को फिर से साफ और कीटाणुरहित किया जाना चाहिए जैसा कि चरण 2 में वर्णित है। शरीर के तरल पदार्थ (जैसे कि एक मेज को कवर करने वाले) दूषित बड़े क्षेत्रों को एक शोषक सामग्री से साफ किया जाना चाहिए, फिर डिटर्जेंट और पानी से साफ किया जाना चाहिए और फिर कीटाणुरहित होना चाहिए।
- कारपेट जैसी दूषित भारी सामग्री को निर्माता के निर्देशों के अनुसार सावधानीपूर्वक साफ किया जाना चाहिए या लांड़ी किया जाना चाहिए।

चरण V : व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (PPE) सहित अपशिष्ट निपटान

- किसी भी मास्क या अतिथि द्वारा पहने गए अन्य पी0 पी0ई सहित सभी गंदे पदार्थों का निपटान, एक मजबूत, लीक-प्रूफ प्लास्टिक बैग में किया जाता है, जिसे बंद किया जाता है और फिर से खोला नहीं जाता है।
- उचित निपटान निर्णयों के लिए स्थानीय स्वास्थ्य अधिकारियों से परामर्श किया जाना चाहिए।
- कचरे को सामान्य रूप से निपटाया जा सकता है।

चरण VI : खाद्य ट्रे, व्यंजन और कटलरी

- किसी संगरोधित व्यक्ति के इस्तेमाल किए गए ट्रे, व्यंजन और बर्तन को संभालते समय डिस्पोजेबल दस्ताने पहनने चाहिए।

12 (अफ सीओ)
01/04/2020

1.4.2020

11/4/2020

- किसी भी डिस्पोजेबल बर्तनों को अन्य सामान्य कचरे के साथ त्याग दिया जाना चाहिए, जैसा कि चरण 5 में वर्णित है।
- पुनः प्रयोज्य बर्तन और कटलरी को डिटर्जेंट और गर्म पानी से इस तरह धोएं कि यह छींटे से बचा रहे। व्यक्ति को पानी के छींटे के कारण होने वाले संक्रमण से बचने के लिए दस्ताने, Three Ply फेस मास्क और चश्मा का उपयोग करना चाहिए।

चरण VII : असबाब और कालीन

- असबाब, कालीन और भंडारण क्षेत्रों के लिए विशेष सफाई प्रक्रियाएं आवश्यक नहीं हैं जब तक कि स्पष्ट रूप से संक्रमणग्रस्त व्यक्ति के शरीर से उत्सर्जित तरल पदार्थ से गंदा न हो।

चरण VIII : कपड़े धोने के संबंध में निदेश

- कपड़े और कपड़े धोने से संबंधित अन्य गतिविधियों की सफाई हेतु एक अलग कमरे को चिह्नित किया जाये।
- कपड़े धोने वाले कर्मचारियों को मेहमानों के कमरे से कपड़े धोने से पहले दस्ताने पहनना चाहिए।
- लिनन को हिलाना नहीं चाहिए क्योंकि इससे आसपास का क्षेत्र दूषित हो सकता है।
- यदि लिनन और तौलिये को लॉन्ड्रिंग की आवश्यकता होती है, तो उन्हें कपड़े धोने के बैग में एकत्र किया जाना चाहिए।
- लिनन को 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल वाले कंटेनर में कपड़े धोने के बैग से सीधे खाली किया जाना चाहिए।
- लिनन को 30 मिनट तक 1% सोडियम हाइपोक्लोराइट घोल में रखा जाना चाहिए और बाद में डिटर्जेंट घोल में धोया जाना चाहिए।

चरण IX : कक्ष की सफाई के बाद हाथ धोना

- जब सफाई पूरी हो जाती है, तो सभी मास्क एवं ग्लव्स का हटा दिया जाना चाहिए और सुरक्षित रूप से एक मजबूत, रिसाव प्रूफ प्लास्टिक बैग में बंद किया जाना चाहिये। इस बैग को किसी भी परिस्थिति में दुबारा खोलना नहीं चाहिये।
- इसके उपरान्त तुरन्त 20 सेकंड के लिए साबुन और पानी से हाथ धोएं। हाथ धोने से पहले चेहरे को न छुएं इसका ध्यान रखें।
- सफाई कर्मचारियों को तुरन्त अपने व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (जैसे फटे हुए दस्ताने) या संक्रमणग्रस्त व्यक्ति के साथ किसी भी करीबी/पर्यवेक्षक को तुरन्त सूचित करना चाहिए।

12 (असबाब और कालीन)
01/04/2020

1.4.2020

1/4/2020